-1-

20रु. कोर्ट COURT भारत बीस रुपये

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

68

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

नि. -2796-I-16

परमलाल तनय सुन्नू प्रजापति
निवासी ग्राम गठेवरा तह. व जिला छतरपुर ....निगरानीकर्ता/आवेदक

विरूद्व

..........अनावेदक

म.प्र.शासन

श्री ... द्वारा आज दि. 19-8-16 को प्रस्तुत

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर छतरपुर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्र 25/अ–21/15–16 पारित आदेश दिनांक 10/08/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गठेवरा स्थित भूमि खसरा क्र 126/6 रकवा 0.747 हे. आवेदक को पट्टे पर प्राप्त भूमि है तथा उसको भूमिस्वामी अधिकार भी प्रदत्त किए गए है। जिसको विक्रय किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त हेतु निगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, अपर कलेक्टर को इस बात को मानना चाहिए था कि निगरानीकर्ता जिस भूमि को विक्रय करना चाहता है वह भूमि पूर्णतः कृषि भूमि नहीं है तथा निगरानीकर्ता द्वारा अत्याधिक श्रम व धन व्यय कर उसे काबिल काश्त बनाने की कोशिश की परंतु वह पूर्ण रूप से काबिल काश्त् भूमि नहीं है जिस कारण से निगरानीकर्ता का अनावश्यक रूप से धन व परिश्रम व्यय हो रहा है जिस कारण से अधीनस्थ न्यायालय को निगरानीकर्ता को भूमि विक्रय की अनुमति प्रदाय

(नितेन्द्र सिंघई) 94251-71223

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2796/II/14 जिला .....छतरपुर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-9-16	1– आवेदक के अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर म0प्र0 के प्र. क्र.25/अ–21/वर्ष 15–16 में पारित आदेश दिनांक 10/8/16 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक की भूमि ग्राम गठेवरा स्थित खसरा क्र 126/6 रकवा 0.747 हे भूमि आवेदक को पटटे पर प्राप्त भूमि है तथा वर्तमान में आवेदक के नाम पर दर्ज भूमि है। जिसको विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसको उनके द्वारा निरस्त कर दिया गया है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा जो भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था वह इस आधार पर दिया गया था कि आवेदक भूमि को विक्रय कर व्यापार करना चाहता है साथ ही भूमि कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है, इस कारण से वह इस भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर कृषि योग्य भूमि क्रय करना चाहते हैं जिससे वह अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें। आवेदक का यह भी तर्क है कि चूंकि वह भूमि विक्रय करने के उपरान्त उतनी ही अधिक उससे ज्यादा भूमि क्रय करेंगे इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी बल्कि उनके पास ज्यादा भूमि हो जायेगी। उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि	

-3- निग. 2796 - ए/16 (छतरपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	की विक्रय की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत बताते हुए यह निगरानी ग्राह्य किये जाने का अनुरोध किया गया है। 4– आवेदक के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है। अपर कलेक्टर छतरपुर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस प्रकरण में इस आधार पर प्रस्तावित भूमि विक्रय करने की अनुमति देने से इन्कार किया है कि आवेदक को रोजगार हेतु अन्य स्त्रोत उपलब्ध है तथा भूमि विक्रय करने के उपरांत आवेदक भूमिहीन हो जायेगा। परन्तु आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय कर उसके स्थान पर विक्रय की जा रही भूमि के बराबर अथवा उससे अधिक अन्य भूमि क्रय करेंगे इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी जिससे आवेदक के तर्कों का बल मिलता है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । 5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर छतरपुर का आदेश दिनांक 10/8/16 निरस्त करते हुए आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक विक्रय पत्र संपादित होने के दिनांक को प्रचलित शासन की गाईडलाईन के मान से विक्रयधन विक्रेता को अदा होने की संतुष्टि कर विक्रय पत्र संपादित करें । सदस्य	